सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2016 / 144 दायर दिनांक 15.09.2016

वादी		प्रतिवादीगण
1. खींवाराम पुत्र मुनाराम जाति जाट निवासी डावडा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. घीसाराम पुत्र मुनाराम 2. गणेशाराम पुत्र मुनाराम 3. गिरधारीराम पुत्र मुनाराम 4. रामकरण पुत्र मुनाराम 5. छोटूराम पुत्र मुनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण डावडा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 6. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–
1. श्री शिवभगवान चौधरी अधिवक्ता वादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक 22.09.2017

विवादित सरहद मौजा डावडा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 413 व 253 रकबा क्रमशः 57.13 बीघा व 49.05 बीघा के घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती बंटवारा व स्थाई निधेधाज्ञा बाबत वादी का वाद दिनांक 18.05.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पंत्राक 767 दिनांक 04.07.2017 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना के प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर किसी ने आपत्ति पेश नही की है। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षत प्राधिकार है तथा इनके द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है। अत तहसीलदार डीडवाना के प्रस्तावित विभाजन को स्वीकार कर हस्तगत वाद अन्तिम डिक्री सादिर किया जात है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वाद, संख्या–2016 / 144
दायर दिनांक 15.09.2016, निणर्य दिनांक 22.09.2017
खींवाराम बनाम घीसाराम वगैराह

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा डाबडा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 413 व 253 रकबा क्रमशः 57.13 बीघा व 49.05 बीघा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पंत्राक 767 दिनांक 04.07.2017 में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **22.09.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2016/144**

दायर दिनांक **15.09.2016**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. खींवाराम पुत्र मुनाराम जाति जाट निवासी डाबडा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	**बनाम्**	**1.** घीसाराम पुत्र मुनाराम **2.** गणेशाराम पुत्र मुनाराम **3.** गिरधारीराम पुत्र मुनाराम **4.** रामकरण पुत्र मुनाराम **5.** छोटूराम पुत्र मुनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण डाबडा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 **6.** तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 22.09.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री शिवभगवान चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद मौजा डाबडा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 413 व 253 रकबा क्रमशः 57.13 बीघा व 49.05 बीघा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पंत्राक 767 दिनांक 04.07.2017 में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **22.09.2017** को सरे इजलास जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner